Question No. *100

INDEX OF INFORMATION

Sr. No.	Subject	Page No.
1.	Reply of Question no. *100 in English	1
2.	Note for Pad in English	2-3
3.	Reply of Question no. *100 in Hindi	4
4.	Note for Pad in Hindi	5-6

NOTE FOR PAD

Hon'ble CM, Haryana during the Budget Speech for FY 2023-24 has announced to provide the tubewell connections applied from 1stJanuary, 2019 to 31st December, 2021. Accordingly, it has been decided to issue Demand Notices to the applicant who have applied for tubewell connection from 01.01.2019 to 31.12.2021 with specific guidelines which were circulated on 30.05.2023 vide Nigam Sales Circular No. D-17/2023. Further additional guidelines have been circulated on 09.11.2023 vide Sales Circular No. D-36/2023. The salient features of guidelines is as under:-

- Demand notices be issued to the new applicants who had applied during the period 01.01.2019 to 31.12.2021 with applied load beyond 10 BHP to 35 BHP. It was also decided that the connection upto 10 BHP will be released by the Department of NRE & HAREDA on standalone solar mode.
- 2. This issue has been re-considered and it has been decided that new tubewell applicants (whom prospective connections are to be released is in villages where ground water has gone **beyond 40 meters**) will have the option to apply for extension of applied motor load. If they opt for extension of applied motor-load for more than 10 BHP; their application shall be considered for Grid connection by the Nigam.
- 3. SDO 'OP' shall intimate this facility to the concerned applicants by issuing a **notice of 15 days** within 2 days of issue of Sales Circular. A window of 15 days on the lapse of validity of the above notice shall be provided in the online portal for interested applicants to apply for extension of load.
- 4. For the applicants who become eligible for the Grid connections after their applications of extension of load, the issuance of Demand notices and other condition as laid down in Sales Circular No. D-17/2023 shall be followed strictly. Their seniority shall not be altered and shall be considered from the date of their original application for new connection.

Status of applicants having load upto 10 BHP (where depth level is more than 40 mtr.) tubewell connections applied during 01.01.2019 to 31.12.2021.

Name of Circle	Total no. of notices issued in compliance of S.C. No. – D-36/2023	Total no. of applicants made compliance to the notices
DHBVN		
Faridabad	0	0
Palwal	0	0
Gurugram-I	295	120
Gurugram-II	63	21
Narnaul	400	229
Rewari	163	48
Bhiwani	17	7
Hisar	0	0
Fatehabad	11	7
Sirsa	11	2
Jind	0	0
DHBVN	960	434

Name of Circle	Total no. of notices issued in compliance of S.C. No. – 21/2023	Total no. of applicants made compliance to the notices
UHBVN		
Ambala	0	0
Jhajjar	0	0
Panchkula	0	0
Kaithal	17	10
Yamunanagar	0	0
Rohtak	0	0
Karnal	0	0
Panipat	2	0
Sonepat	0	0
Kurukshetra	25	12
UHBVN	44	22
DHBVN+ UHBVN	1004	456

पैड के लिए नोट

वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट भाषण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री, हिरयाणा द्वारा 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2021 तक आवेदन किए गए आवेदकों को नलकूप कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की गई। तदनुसार, निगम सेल्ज परिपत्र संख्या डी-17/2023 के तहत जारी किए गए विशिष्ट दिशा-निर्देशों के साथ 01.01.2019 से 31.12.2021 तक नलकूप कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को डिमांड नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, सेल्ज परिपत्र संख्या डी-36/2023 के तहत 09.11.2023 को अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- 1. उन नए आवेदकों को डिमांड-नोटिस जारी किया जाए, जिन्होंने 01.01.2019 से 31.12.2021 की अविध के दौरान 10 बी.एच.पी. से 35 बी.एच.पी. से ज्यादा लोड के लिए आवेदन किया था। यह भी निर्णय लिया गया कि 10 बी.एच.पी. तक का कनेक्शन एन.आर.ई. और हरेडा विभाग द्वारा स्टैंडअलोन सोलर मोड पर जारी किया जाएगा।
- 2. इस मामले पर पुन: विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि नए नलकूप आवेदकों (जिन गांवों में संभावित कनेक्शन जारी किए जाने हैं, जहां भूजल 40 मीटर से अधिक चला गया है) के पास आवेदित मोटर लोड के विस्तार के लिए आवेदन करने का विकल्प होगा। यदि वे 10 बी.एच.पी. से अधिक के लिए आवेदित मोटर-लोड के विस्तार का विकल्प चुनते हैं, तो निगम द्वारा ग्रिड कनेक्शन के लिए उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा।
- 3. उपमंडल अधिकारी 'परिचालन' सेल्ज परिपत्र जारी होने के 2 दिनों के भीतर 15 दिनों का नोटिस जारी करके संबंधित आवेदकों को इस सुविधा के बारे में सूचित करेगा। इच्छुक आवेदकों को लोड के विस्तार के लिए आवेदन करने के लिए उपरोक्त नोटिस की वैधता समाप्त होने पर 15 दिनों की एक विंडो ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदान किया जाएगा।
- 4. जो आवेदक लोड विस्तार के आवेदन के बाद ग्रिड कनेक्शन के लिए पात्र हो जाते हैं, उनके लिए सेल्ज परिपत्र संख्या डी-17/2023 में निर्धारित डिमांड नोटिस जारी करने और अन्य शर्तों का सख्ती से पालन किया जाएगा। उनकी वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और नए कनेक्शन के लिए उनके मूल आवेदन की तारीख से विचार किया जाएगा।

01.01.2019 से 31.12.2021 के दौरान आवेदन किए गए 10 बी.एच.पी. (जहां गहराई का स्तर 40 मीटर से अधिक है) तक लोड वाले नलकूप कनेक्शन वाले आवेदकों की स्थिति।

	सेल्ज परिपत्र संख्या 36/2023 की	आवेदकों की कुल
सर्कल का नाम	अनुपालना में जारी किए गए नोटिसों	संख्या जहां नोटिसों की
	की कुल संख्या	अनुपालना की गई
द.ह.बि.वि.नि.		
फरीदाबाद	0	0
पलवल	0	0
गुरुग्राम-1	295	120
गुरुग्राम-2	63	21
नारनौल	400	229
रेवाड़ी	163	48
भिवानी	17	7
हिसार	0	0
फतेहाबाद	11	7
सिरसा	11	2
जींद	0	0
द.ह.बि.वि.नि.	960	434

सर्कल का नाम	सेल्ज परिपत्र संख्या 21 /2023 की अनुपालना में जारी किए गए नोटिसों की कुल संख्या	आवेदकों की कुल संख्या जहां नोटिसों की अनुपालना की गई
उ.ह.बि.वि.नि.		
अंबाला	0	0
झज्जर	0	0
पंचक्ला	0	0
कैथल	17	10
यमुनानगर	0	0
रोहतक	0	0
करनाल	0	0
पानीपत	2	0
सोनीपत	0	0
कुरुक्षेत्र	25	12
उ.ह.बि.वि.नि.	44	22
द.ह.बि.वि.नि.+उ.ह.बि.वि.नि.	1004	456